150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प. 3(27)वन / 2023 जयपुर, दिनांक– 06.10.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात अजमेर जिले की अजमेर/पीसांगन तहसील में स्थित आरक्षित वनखण्ड तारागढ़ नजूल एवं रक्षित वनखण्ड अजमेर, अजमेर सोमलपुर, अजमेर डूमाड़ा, चामुण्डा देवी, अजयसर बुधवाड़ा, इन्दरकोट, अजमेर तारागढ़, सवाईपुरा–1 एवं अवर्गीकृत वन भूमि सवाईपुरा–2 जो मुख्य आयुक्त, अजमेर मेरवाड़ा की अधिसूचनाएँ क्रमशः क्रमांक संख्या 1076–सी/162–ए/38 दिनांक 11.08.1940 से आरक्षित वन खण्ड संख्या 47/9/50–एडीएमएन (ii) दिनांक 25 मार्च तथा संख्या 47/29/51–एडीएमएन (ii) दिनांक 16 जून 1951 से रक्षित वन खण्ड घोषित किए गए थे, जिनकी कुल **3951.081** हैक्टेयर आरक्षित एवं रक्षित वन भूमि जिनका विवरण नीचे अनुसूची–1 एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पतीय भू–संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा सरंक्षण आरक्षिति (Conservation Reserve) घोषित करती है, जिसे भविष्य में गंगा–भैरूव धाटी संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची–1

क्र०सं०	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	अजमेर	अजमेर	तारागढ़ नजूल	468.421	आरक्षित वन
			अजमेर	226.22	रक्षित वन
			अजमेर सोमलपुर	194.32	
			अजमेर डूंमाड़ा	602.82	
			चामुण्डा देवी	320.10	
			अजमेर तारागढ़	10.52	
			इन्दरकोट	46.13	
		पीसागंन	अजयसर बुधवाड़ा	2059.08	
			सवाईपुरा–1	12.75	
			सवाईपुरा–1	10.72	अवर्गीकृत वन
			योगः–	**3951.081है0**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 19:48:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4866003

MAIN LOGO

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

अनुसूची–2

खण्ड–A

उत्तरी सीमा	रक्षित वनखण्ड इन्द्रकोट के ग्राम थोक मालियान द्वितीय/बोराज के मध्य की सीमा में मीनारा सं. 17 से वनसीमा लाईन एवं रक्षित वनखण्ड अजयसर बुद्धवाड़ा के ग्राम पुष्कर/खरखेड़ी की सीमा में मीनारा सं. 5 से 6 होकर वन सीमा लाईन।
पूर्वी सीमा	रक्षित वनखण्ड अजमेर के ग्राम थोक मालियान द्वितीय की सीमा में मीनारा सं. 21 से 22 फिर मीनारा 23 की ओर रक्षित वनखण्ड अजमेर सोमलपुर के ग्राम सोमलपुर/थोक मालियान की सीमा की वन सीमा से होकर मीनारा सं. 24 की ओर लाईन।
दक्षिणी सीमा	वनखण्ड रक्षित अजमेर डूमाड़ा के मीनारा सं. 30 से 29 एवं 30 से 31, 32 की तरफ ग्राम डूमाडा की सीमा में वन सीमा लाईन।
पश्चिमी सीमा	वनखण्ड रक्षित अजयसर बुद्धवाड़ा के ग्राम नूरियावास के मीनारा सं. 38 से 1 की ओर ग्राम की वन सीमा तक।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
8. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
9. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
11. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 19:48:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4866003

13. जिला कलक्टर, अजमेर।
14. उप वन संरक्षक, अजमेर ।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं :—

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 19:48:43 IST
Reason: Approved